मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2019 को आयोजित "राज्य गंगा समिति" के पाँचवी बैठक की कार्यवाही।

स्थान :– मुख्य सचिव, बिहार का अनुश्रवण कोषांग, पुराना सचिवालय, समय–12:30 बजे अपराह्न।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

Video Conferencing के माध्यम से उपस्थिति :– जिला पदाधिकारी वैशाली/लखीसराय/समस्तीपुर/खगड़िया/बेगुसराय/पटना/मुंगेर/भागलपुर/कटिहार/बक्सर/दरभंगा/सारण/कैमूर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण एवं अररिया।

बैठक में उपस्थित राज्य गंगा समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों तथा Video Conferencing के माध्यम से उपस्थित जिला पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य गंगा समिति के विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन, माननीय NGT द्वारा निर्गत आदेशों तथा "नमामि गंगे कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में PPT के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गयी।

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 22.07.2019 को आहूत राज्य गंगा समिति के चतुर्थ बैठक की कार्यवाही के अनुपालन में बुडको द्वारा Road Restoration का कार्य कराये जाने एवं DPR तैयार करने हेतु संबंधित Agency से follow-up किया जाना बताया गया। समिति द्वारा प्रबंध निदेशक, बुडको को माननीय NGT द्वारा निर्धारित अवधि को संदर्भित करते हुए कार्यो में त्वरित गति लाने का निदेश दिया गया **(अनुपालन–बुडको)**।

2. O.A No. 200/2014, M.C Mehta Vs Union of India & ors के मामले में मा0 NGT द्वारा दिनांक 07.08.2019 को पारित आदेश को संदर्भित करते हुए प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि एस.टी.पी. एवं सिवरेज नेटवर्क की क्रियान्वित योजनाओं एवं अभी तक प्रारंभ नहीं की गई एस.टी.पी. एवं सिवरेज नेटवर्क योजनाओं को अपूर्ण रहने की स्थिति में क्रमशः दिनांक 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से रू 10.00 लाख प्रति माह की दर से राज्य सरकार द्वारा CPCB को क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित करना होगा। साथ ही नालों के माध्यम से बिना शोधन के सिवेज का प्रवाह गंगा नदी में नहीं किया जाना है एवं सिवरेज योजनाओं के कार्य के पूर्णता अवधि तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 01.11.2019 तक सभी नालों में Bio-remediation and/or Phytoremediation or any other remediation measures प्रारंभ कर दिया जाना है अन्यथा क्षतिपूर्ति के रूप में रू 5.0 लाख प्रति माह प्रति नाला के दर से राज्य सरकार द्वारा CPCB को भुगतान करने का आदेश है। राज्य गंगा समिति द्वारा माननीय NGT द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ताकि दंड अधिरोपण की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस क्रम में नालों से प्रवाहित हो रहे सिवेज को Bio-remediation and/or Phytoremediation or any other remediation measures के माध्यम से शोधन हेतु प्रस्ताव NMCG को प्रेषित करने का निदेश दिया गया **(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग/बुडको)**।

3. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा "नमामि गंगे कार्यक्रम" के तहत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनाओं के संदर्भ में एस.टी.पी. एवं सिवरेज नेटवर्क की रू 3833.08 करोड़ की लागत से 19 योजनायें क्रियान्वित रहने, रू0 1271.42 करोड़ लागत की 08 योजनायें निविदा के प्रक्रियाधीन रहने एवं रू0 74.95 करोड़ की 01 योजना निविदा प्रकाशन की स्थिति में होने को

Scanned by CamScanner

बताया गया। साथ ही पटना RFD की रू 314.06 करोड़ की एक योजना बुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। दो घाटों यथा मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज का रू 19.02 करोड़ का कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है जिसके कार्यकारी एजेंसी बुडको है। इसके अतिरिक्त 05 अन्य घाटों एवं शवदाह गृह निर्माण का कार्य NBCC द्वारा कराया जा रहा है। Afforestation हेतु रू0 18.60 करोड़ की योजनायें वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य गंगा समिति द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को सभी योजनायें गुणवत्ता के साथ मा0 NGT के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए ससमय पूरा कराने हेतु निदेश दिया गया **(अनुपालन– वन एवं पर्यावरण विभाग /बुडको/NBCC)**।

4. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि गंगा की सहायक नदियों के तट पर अवस्थित 15 शहरों के लिए एस.टी.पी एवं सिवरेज नेटवर्क योजनायें स्वीकृत/प्रस्तावित हैं। इसमें 8 अदद योजनओं का DPR, NEERI स्तर से तैयार करने की प्रक्रिया में है एवं 7 अदद योजनाओं का DPR स्वीकृति हेतु NMCG को भेजा गया हे। राज्य गंगा समिति द्वारा कार्यकारी एजेंसी बुडको को मा0 NGT के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए DPR, तैयार करवाते हुए अनुवर्ती कारवाई ससमय सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया **(अनुपालन–बुडको)**।

5. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि गंगा नदी के Main stem पर अवस्थित सभी 124 अदद नालों, जिसका outfall गंगा नदी/सहायक नदियों/किसी Water Bodies में होता है, से Floating solid waste के screening हेतु screen अधिष्ठापन का कार्य बुडको द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। समिति द्वारा अधिष्ठापित screen के upstream में जमा हुए Solid waste के ससमय समुचित संग्रहण एवं निस्तार हेतु निदेश दिया गया **(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग /संबंधित जिला गंगा समिति)**।

6. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि गंगा नदी के Main stem पर अवस्थित सभी 23 शहरों के लिए कुल रू0 426.90 करोड़ का Solid Waste Management(SWM) कार्य का DPR स्वीकृत है एवं संबंधित नगर निकायों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि पटना को छोड़कर अन्य 22 शहरों में D2D संग्रहण हेतु Dustbin का वितरण प्रगति में है एवं कुल 732 वार्डो (100%) में Door to Door Collection एवं 312 वार्डों में Household source segregation का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। उनके द्वारा दो शहरों में Waste Processing के लिए भूमि हेतु EOI प्रकाशित किये जाने, 3 शहरों (फतुहा, खगड़िया एवं सोनपुर) में Sanitory Land fill के लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य प्रक्रियाधीन रहने एवं 3 शहरों (हाजीपुर, बड़हिया एवं मनिहारी) में EOI प्रकाशित किये जाने तथा बक्सर में भू–अधिग्रहण अनुमोदित होने को बताया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि 10 शहरों में Composting pit का निर्माण प्रारम्भ है एवं 07 शहरों (तेघरा, जमालपुर, खगड़िया, पटना, फतुहा बख्तियारपुर एवं मनेर) में प्रारम्भ किया जाना है।

Video Conferencing के माध्यम से सम्बद्ध जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि भूमि चिन्हित की जा चुका है। अनुवर्ती कारवाई भी शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा। राज्य गंगा समिति द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण करने, Solid Waste Management से संबंधित सभी अवयवों के कार्य को शीघ्र पूरा कर लिये जाने का निदेश दिया गया **(अनुपालन–संबंधित जिला गंगा समिति)**।

7. माननीय NGT द्वारा पारित आदेश में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने से संबंधित सभी कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव के स्तर से किये जाने का संसूचन है एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन दिया जाना है। इस हेतु दिनांक 25.06.2019 को आयोजि NGT से संबंधित बैठक में Action Plan के कार्य अवयवों से संबंधित विभागों को चिन्हित करते हुए वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी जिनका ब्यौरा निम्नवत है :–

i. Flood Plain को अतिक्रमण मुक्त करना– **(अनुपालन–संबंधित जिला गंगा समिति)**
ii. Solid Waste Management – **(अनुपालन – नगर विकास एवं आवास विभाग)**
iii. शोधित सिवरेज जल श्रव का उपयोग – **(अनुपालन – जल संसाधन विभाग(>100 MLD), लघु जल संसाधन विभाग (<100MLD))**

Scanned by CamScanner

iv. Flood Zone का निर्धारण (Longitude एवं Latitude–Eco-sensitive एवं Prohibited Area के साथ) (Treating 100m from middle of river to be Eco-sensitive and Prohibited zone for any permanent or temporary Activity area from 200m to 500m (in plain areas) as regulatory zone)- **(अनुपालन – जल संसाधन विभाग)**

v. E-flow का Maintenance – **(अनुपालन – जल संसाधन विभाग)**

vi. वृक्षारोपण Green Belt, Bio-diversity Park की स्थापना हेतु Flood Plain से संबंधित भू–भाग को वन एवं पर्यावरण विभाग को स्थानान्तरण–(अनुपालन –WRD and EF&CC)

vii. उत्तम सिंचाई पद्धति विकसित किया जाना –**(अनुपालन–WRD, MWRD, Agriculture department)**

viii. गंगा बेसिन में All Industrial Polluting Activity पर रोक एवं Industry से उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना– **(अनुपालन –SPCB)** :–

SPCB के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल प्रदूषणकारी कुल 229 इकाईयाँ चिन्हित की गयी है। 219 उद्योगों में वहिस्त्राव उपचार संयंत्र (ETP) कार्यरत है जिसमें 211 उद्योगों में डिस्चार्ज मानक का उपयोग किया जा रहा है एवं शेष 08 उद्योगों के विरूद्ध कारण बताओं नोटीस/दिशा निर्देश दिये गये हैं। यह भी बताया गया कि ETP व्यवस्था रहित 10 उद्योगों में 06 के विरूद्ध कारण वाताओं नोटिस/निदेश, 03 के विरूद्ध बंद करने का निदेश एवं 01 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

ix. बिना STP एवं CTO के परिचालित होटल, धर्मशाला, एवं आश्रमों का बंदीकरण सुनिश्चित किया जाना – **(अनुपालन – SPCB)** :–

SPCB के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य स्थित सभी होटल धर्मशाला एवं आश्रम को एस.टी.पी की स्थापना एवं संचालन हेतु विहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति प्राप्त करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गयी है एवं उनके साथ बैठक कर एस.टी.पी. स्थापित करने हेतु निदेशित किया गया है।

x. राज्य के Website पर Water Quality का प्रकाशन, प्रत्येक माह अद्यतन करना एवं Drinking/Bathing के उद्देश्य के परिपेक्ष्य में अभ्युक्ति अंकित. करना – **(अनुपालन – SPCB)** :–

SPCB के पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि SPCB के website पर जलस्त्रातों के गुणवत्ता से संबंधित प्रतिवेदन uploaded है।

xi. मानक बिन्दुओं पर जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं Violators पर विधि सम्मत कारवाई करते हुए Polluting Activity को बंद करना, पर्यावरणीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की राशि को उसके पुर्नस्थापन में उपयोग किया जाना **(अनुपालन – SPCB)** :–

SPCB के पदाधिकारी द्वारा कारवाई किये जाने की सूचना दी गयी। यह भी बताया गया कि कई उद्योगों से रू0 100.00 लाख का बैंक गारंटी लिया गया है जिसमें रू0 40.00 लाख जब्त कर लिया गया है एवं पुनः M/s Harinagar Sugar Mill Ltd एवं Distillery unit को रू0 20–20 लाख बैंक गारंटी जमा करने का निदेश दिया गया है।

xii. गंगा नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों की सूची तैयार करना – **(अनुपालन – SPCB)**:–

SPCB के पदाधिकारी द्वारा चिन्हित 229 उद्योगों में से 56 इकाईयाँ Glossly Polluting Industries(GPIs) के रूप में सूचीबद्ध होने की सूचना दी गयी।

xiii. Rain Water Harvesting System:- **(अनुपालन – CGWA, MWRD, UD&HD, and SPCB)**

xiv. भूगर्भ जल हेतु नियमन तैयार करना – **(अनुपालन – CGWA, MWRD)**

Scanned by CamScanner

xv. अनियंत्रित एवं यांत्रिक विधि से river bed mining पर रोक – **(अनुपालन – Mines department)**

xvi. गंगा नदी को प्रदूषण से बचाव हेतु नालों का taping एवं other remedial steps - **(अनुपालन–UD&HD/Industry Department/Rural Dept./Panchayatiraj Dept.)**

xvii. सिवरेज योजनाओं (STP Network एवं I&D) का कार्यान्वयन – **(अनुपालन–नगर विकास एवं आवास विभाग)**

xviii. Uses of sludge manure and setting up of Bio-digesters and septage management **(अनुपालन – नगर विकास एवं आवास विभाग)**

xix. Bio- medical waste के dumping पर रोक – **(अनुपालन – UD&HD SPCB and Health Department.)**

xx. धार्मिक, सामाजिक, शिक्षण संस्थान एवं धर्मार्थ (charitable) संस्थान की भागीदारी सुनिश्ति करना – **(अनुपालन – संबंधित जिला गंगा समिति)**

xxi. राज्य स्तर पर उपर्युक्त वर्णित कार्यो के अनुश्रवण हेतु special cell का गठन – **(अनुपालन - EF&CC/SPCB)**

राज्य गंगा समिति द्वारा विभिन्न कार्य अवयवों के समक्ष चिन्हित विभागों/संस्थानों को माननीय NGT द्वारा संसूचित आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराये जाने का निदेश दिया गया। इससे संबंधित Action Plan NGT द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में दिनांक 15.11.2019 के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाने का भी निदेश राज्य गंगा समिति द्वारा दिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त से संदर्भित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 12.12.2019 को माननीय NGT में सुनवाई के दौरान समर्पित करने के क्रम में दिनांक 30.11.2019 तक सचिव, जल संसाधन, जलशक्ति, भारत सरकार को समर्पित किया जाना है।

8. पटना शहर के क्षेत्रान्तर्गत पुराने water towers की जाँच कर सुसंगत कारवाई करने का निदेश राज्य गंगा समिति द्वारा BUIDCo को दिया गया **(अनुपालन–बुडको)**।

9. कलेक्ट्रेट घाट से सभ्यता द्वार तक सम्पर्क पथ का निर्माण कराये जाने का निदेश राज्य गंगा समिति द्वारा बुडको को दिया गया **(अनुपालन–बुडको)**।

10. पटना में flood protection wall के River side में वृक्षरोपण कार्य कराने का निदेश राज्य गंगा समिति द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग को दिया गया। इस क्रम में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना से समन्वय स्थापित कर इस हेतु चिन्हित भू–खंड वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध करा दिया गया है **(अनुपालन–वन एवं पर्यावारण विभाग)**।

अतं में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

24/9/2019

25/9

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक :– BGCMS/2017/नमामि गंगे/53(Part-II)..... न.वि. एवं आ.वि., पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारि वैशाली/लखीसराय/समस्तीपुर/खगड़िया/बेगूसराय/पटना/मुंगेर/भागलपुर/कटिहार/बक्सर/दरभंगा/कैमूर/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भू–जल पर्षद/निदेशक, हरियाली मिशन/महाप्रबन्धक, एन.बी.सी.सी./सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/श्री एस.एन. जायसवाल, वैज्ञानिक (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन),बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु सम्प्रेषित।

ह०
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
सह–परियोजना निदेशक,
बी.जी.सी.एम.एस.
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :– BGCMS/2017/नमामि गंगे/53(Part-II)....827..... न.वि. एवं आ.वि., पटना दिनांक.....26/9/19

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/परिवहन विभाग/उद्योग विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/प्रबन्ध निदेशक, बुडको, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु सम्प्रेषित।

25/9/2019

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
सह–परियोजना निदेशक,
बी.जी.सी.एम.एस.
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Scanned by CamScanner